

पूछिए ... (व्यवधान)... आप समाप्त कीजिए न। ... (व्यवधान)... I think there is no discipline in the House. Please. यह सही बात नहीं है। ... (व्यवधान)...

---

### STATEMENT BY MINISTER

#### **Status of Implementation of the Recommendations Contained in 169th Report of Department-Related Parliamentary standing Committee on Industry**

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): Sir, I lay a copy of the statement.

---

### SHORT DURATION DISCUSSION

#### **Communal Violence in Vadodara and other Parts of the Country**

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, after such a debate, per force, I should be very brief. We had a debate yesterday in this House, and the other House also, with respect to the incident that had taken place in one part of our country. Today, we are discussing the incidents that have taken place in other parts of our country. Yesterday, the debate was sobre, and probably, briefer than this one. Today, some heat was generated at the beginning, but then, some very good points have been made by hon. Members, while expressing their views on the incidents in Vadodara and other places. Sir, what happened in Vadodara? the Municipal Corporation decided to remove some structures which were standing at some palces in the city in order to implement their plan, and the information which is given to us shows that they did remove some structures which were standing at the places where they should not have been there, and from where they were causing some obstruction to the traffic. When this place was approached by the municipal authority and they tried to demolish that structure, people who had collected there, objected to it, and a situation became. difficult in the middle of the night. I received a telephone call from one of the collegagues here that Vadodara was facing grave difficulties and people were rioting over there. It was possible for the Home Secretary and me also to communicate with the Chief Minister around 2 o'clock in the night. We

[16 May, 2006]

RAJYA SABHA

tried to collect the information about the incident. Then we decided that the situation should be controlled with determination, and without giving any opportunity to anybody, to cause any damage to any property or to any individual. Next day also, the situation was not fully under control. The curfew was clamped. One of the vehicles, I think, met with an accident, and the driver of that vehicle was put to death by the people who had collected over there by setting on fire the vehicle itself. This was a signal which indicated that if the situation was not controlled with a firm hand, it could go out of control and it could cause a lot of difficulties. The State Government asked for some Forces from the Union Government, and we did give them the Forces. Nearly 21 Companies were given to them; eight companies of Rapid Action Force and some Companies of BSF and CRPF were given. It was also decided on the next day that the Army columns would stage a flag march in the city to give an indication that the situation had to be controlled. And fortunately, the situation was controlled. The question which is, sometimes, asked is who is responsible for this situation. Sir, the State Government was in Gandhinagar and the Municipal Corporation was in Vadodara, and this was an action taken by the Municipal Corporation. One of the hon. Members, speaking here, very rightly said that the Municipal Corporation could have acted differently. And he did also say that Gandhinagar was firm enough to control the situation. I think, that assessment of that hon. Member who comes from Gujarat is not incorrect. It appears to be correct.

While discussing this issue, so many points were raised, and it was tried to indicate that for development, demolition of these kinds of structures was necessary. It was also said that some temples were demolished. The figures and the statistics which are given to us, and the information which is given to us, indicate that some temples were demolished, and one or two mosques were also demolished. But, sir, the character of the structures has to be taken into consideration. If a structure is constructed, say, a few months back, or, one or two years back, removing that structure does not cause any difficulty. But if the structure is ancient and is worshipped by the people, the people belonging to not only one section of the society but to all sections of the society, the removal of that kind of structure has to be done in a careful manner. If it is necessary, it should be removed. If it can be done with agreement between the people who respect that structure, it is better. But if it is not to be done, one should not be in a hurry to demolish that kind of structure

because demolishing that structure is not only demolishing the structure, but is also hurting the feelings of some of the people who respect that structure. That is what is to be borne in mind while dealing with structures of this kind. Many instances have been quoted by the hon. Member, while speaking on this issue, as to how the structures have continued to be there in other places and have not been demolished. Even in Delhi, when I used to come from Janpath to the Parliament, at one square there was a mosque; that mosque is not demolished. Now, there is a wall constructed around it, and that mosque is protected. If something of this nature can be done, it should be done. If it cannot be done then a discussion should be held, and if, with agreement, the structure has to be demolished, it should be demolished; otherwise, it should not be demolished, because those who have the responsibility of administering a city or a State or the Country have to consider the impact of their actions on the minds, the hearts and the feelings of the people in the country. They should not do it without taking into consideration these things. Probably, one would not say that they did it with any bad intention. But one can certainly say that they did not do it in a sensitive manner. By understanding the feelings of the other people, probably, they could have done it differently. As far as the issue of Vadodara is concerned, I do think that the Municipal Corporation could have dealt with this issue in a different manner, in a more responsible manner. If it had not done so, it could be asked to look into all these matters and see as to how it can compensate or it can help the people in that area. This is what I would like to say, as far as Vadodara is concerned.

But, Sir, while discussing issues of this nature—yesterday and today also we discussed issues of this nature—we have to be very careful. Why do communal disturbances take place in our country? Something happened in Varanasi and the people of Varanasi behaved in a most responsible manner. Something happened in Delhi. The people of Delhi conducted themselves in a most responsible manner. Something happened in Doda and Udhampur also. Again and again, it has been said that we did not go there. But when I met them there, they did tell me, "Look, we are now going to be divided by the terrorists who are acting in this manner. We will remain together and we will fight them together". This is what they told me. This is very important.

Somebody, while participating in this debate today, said that,

probably, people were more secular than some of us, the politicians. The people are really secular. The people in Varanasi, the people in Delhi and the people in Doda and Udhampur behaved in a most restrained and responsible manner indicating that they are really broad-minded and they really understand the value and importance of treating all human beings as human beings, and not persons belonging to this religion or that religion and not creating a division between the human beings. Now that is what is indicated by the people over there. But, sometimes, probably, politicians, all of us, for reasons known to us, are not, a little, as secular as the people outside the Parliament are. Now, while speaking also, sometimes, we make statements which do not help to maintain communal harmony in the country, but it acts as fuel to the fire of communal disturbances in the country. This has to be borne in mind. The administrators and the people who are on the spot have to behave in a responsible manner. Yesterday, while discussing the Doda and Udhampur issue, very good suggestions were given and one of the suggestions was to strengthen the Village Defence Committees. That was one of the most practical and useful suggestions which was thrown up in the debate in the House and in the other House also to deal with the terrorist activities in the far-flung areas of Doda, Udhampur and Jammu. Now, in the same fashion, today what is coming out of this debate? A little tact on the part of the person who was actually dealing with this structure would have avoided the situation. It was all the more necessary because of the history with which we are all acquainted, what happened in some parts of Gujarat. It would have been necessary for the people who are elected to the Municipal Corporation and who are administering the Corporation to be a little more tactful and a little more careful. Nothing would have changed, nothing would have happened if this matter was delayed. The demolition could have been delayed for sometime. Nothing would have happened. If that structure could stand there for 100 years or even 50 years... (*interruptions*).

श्री उपसभापति: आप बाद में क्लैरिफिकेशन पूछ लीजिए ... (व्यवधान)... आप डिस्टर्ब मत कीजिए, बाद में बोलिएगा ... (व्यवधान)... बीच में मत बोलिए।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I will reply to his questions afterwards. I don't want to break my link. What I am saying is that if we, who are administering the area, administering the cities or States or the Government at the national level, are not tactful, are not careful, if we do not anticipate the disturbances, if we act in a hurry, act in a manner which

can hurt the feelings of the people, we would be compelled to face situations like this. This is exactly what has to be avoided. If this is avoided at individual level, if this is avoided at organisation level, it can really help us. The second thing, which is very important, is we think that by appealing to the narrow mindedness of the human beings, we will gain something out of it. It is not going to happen because those people who want to get something out of narrow mindedness of the people, their number is very, very limited. A majority of the people have nothing to gain to of it. They are happy if there is peace. They are happy if there is harmony. They are happy if there is understanding. They feel disturbed and they feel unhappy if something happens in their State or in their city or in their *galli* or in their neighbourhood. Actually, they suffer. Their children cannot go out. They cannot get whatever they want to get from the market. They suffer and sometimes that fire can engulf their own house also. They are not happy. This has to be very clearly understood. Those who think that by appealing to narrow mindedness of some human beings in the society they can gain out of it, I think they are mistaken. That is not going to help at all. It has to be avoided. There is one more thing. We are saying that we would like to have peace and harmony in the society. How are peace and harmony in the society disturbed? Peace and harmony in the society are disturbed because of disturbance in our own mind. If our mind is disturbed, if we do not know what is really going to help us, it is going to disturb the peace and harmony in the society. Every word that we utter, every act that we do, if it is contributing towards the pollution of our mind, disturbance of our mind, it is going to result in disturbance in the society. This has to be understood. We shall have to introspect and find out as to how we are conducting ourselves. Are we saying things which will add fuel to the fire? Or are we doing things which will douse this fire and create harmony and understanding in the society? We shall have to do it. Now what is to be done in these circumstances? We shall have to ask ourselves as to what we should do. We shall have to decide in our parties as to what we should do. We shall have to understand that this is not, in the ultimate analysis, going to help us and we have to conduct ourselves in a proper manner. One of the hon. Members, while speaking here, said that we are not here to divide; we are here to unite. Religion does not divide and should not divide. Religion should unite. Culture should unite the human beings with human beings, human beings with God, human beings with the nature. If it divides, it cannot be called a real and correct religion.

That has to be clearly understood. The question today asked is: how is the communal situation in the country? Now I would like to give you the statistics on this point and leave it to you to decide how is the communal situation in the country. In 2000, the number of incidents that took place was 787; persons killed—243 and persons injured—1840. In 2001, the number of incidents that took place was 823, persons killed—221 and persons injured—2383. In 2002, the number of incidents was 722, persons killed—1130 and persons injured—4375. In 2003, the number of incidents was 711, number of persons killed—193 and persons injured—2261. In 2004, the number of incidents that took place was 677, persons killed—134 and persons injured—2132. In 2005, the number of incidents that took place is 779, persons killed—124 and persons injured—2066. In 2006, from January to May 12, the number of incidents is 198, persons killed—58 and persons injured—706. Now, this indicates that there is an improvement in the situation, and there is no deterioration. but, some of the incidents which have taken place have attracted our attention so much that we have started feeling that the situation is deteriorating. Not that the incidents are not taking place; not that there is no scope for improvement. The situation indicates that there is a slight improvement, but it is not a satisfactory improvement. Something more has to be done, and something more can be done not only by the Government of India, not only by the State Governments, not only by the Municipal Corporations, but by all of us together. If all of us contribute towards it, the situation can, certainly, become better than what it is today. Now, we are the people who are well-known throughout the world for our tolerance, contentment, understanding, desire for peace, desire for amity, and if this kind of division is created in the name of religion, in the name of any other narrow-mindedness, it is not going to help us. What can be done by us here is, to be very careful in using the words, in making the policies, in administering the Government, and in approaching the people in the just and correct manner so that the communal harmony in our country is maintained. I am not here to blame this person or that person, or, this State or that State. Now, we are all expected to be responsible. The State Governments did behave in a manner in which we expected them to behave, and we did give them all the help. That was done. And that has to be continued. If it is not continued, nobody can help them; nobody can avoid criticising them. And, if they do their duty in a proper manner, certainly, the entire country, the Government of India, and all of us will be with them. Any

8.00 P.M.

State Government, for the matter, or, any organisation in the State Government can expect the help of the State Government, or, the Union Government in order to achieve this objective.

Sir, I know that some issues were raised. Those are detailed issues, and they will require a lot of discussion and interpretation of the existing laws. For that, this is not the time, and, we will not have enough of patience to go into all these details. I am not going into these details. The information is available. If anybody wants any information on these points, I can give them the information, the law also can be made available to them, and they can form their own opinion. Thank you, Sir.

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से इनसे कुछ जानना चाहूंगा। अभी अरुण जेटली जी ने वड़ोदरा के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न रखे थे। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के निर्देश के आधार पर ही इसे रखा था कि सड़क पर या सार्वजनिक जगहों पर जो धार्मिक स्थल होंगे, उनको विध्वंस किया जा सकता है, डिमोलिश किया जा सकता है। लेकिन डिमोलिश करने के क्रम में जो मन्दिर या मस्जिद या कोई भी स्थान रहा होगा, उस क्रम में वहां के प्रशासन ने स्थान-स्थान पर बातचीत करने के पश्चात् ही डिमोलिशन किया। जिस पार्टिकुलर दरगाह को लेकर यह घटना घटित हुई है, इसके बारे में भी वार्ता हुई थी। वार्ता के क्रम में लोग तैयार भी हो गए थे, लेकिन कुछ हार्ड लाइनर थे, जिन्होंने जिद करके ऐसा कराया। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि यह सौ वर्ष या इतने वर्ष पुराना रहा है, वहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या बाकी के स्थानों में कहीं इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाकी के स्थानों पर जैसा हुआ, उसी तरीके से यहां भी रहा, इस नाते उसको डिमोलिश किया गया। एक तो उन्होंने यह सवाल पूछा था, जिसके सम्बन्ध में हम जानना चाहेंगे।

महोदय, दूसरा मैं प्रदेश के बाकी हिस्सों में जो दंगे हुए, सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटित हुई हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहूंगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि मन्दिर पर आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद हनुमान गढ़ी पर विस्फोट हुआ, फिर उसके बाद जब मऊ में धार्मिक समारोह था, उस पर एक गुट के कुछ लोगों ने – मैं यह नहीं कहूंगा कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, वहां कुछ लोगों के द्वारा भरत मिलाप के उस स्थान पर हमला किया गया। उसके बाद संकट मोचन मन्दिर पर हमला हुआ। इस तरह से जो हमले हुए, विशेष रूप से मन्दिरों पर हमले हुए तथा ये कुछ आतंकवादियों द्वारा हुए और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा किए गए, जो आपराधिक मनोवृत्ति के थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता या आपने इसको पता करने की कोशिश की है कि इस प्रकार से साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशें कुछ

आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए लोग और साथ-ही-साथ आई॰एस॰आई॰ या इस प्रकार के देशद्रोही तत्व ऐसे अपराधियों का साथ लेकर जगह-जगह उपद्रव कराकर साम्प्रदायिक माहौल का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कम्युनल हारमोनी है, उसको समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं? दुर्भाग्य से इसको किसी-न-किसी तरीके से कम्युनलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। हम इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहते, लेकिन यह जानकारी जरूर करना चाहते हैं।

जैसे मऊ का प्रकरण है। मऊ के प्रकरण में वहां का जो स्थानीय विधायक है, वह स्वयं आपराधिक मानसिकता का है। वहां से उसके बारे में क्लीन चिट दी गई, जबकि वहां की पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कहता है कि वह इसमें शामिल है और यह उसके द्वारा हुआ है। एफ॰आई॰आर॰ दर्ज कराई गई, लेकिन उसको क्लीन चिट दे दी गई है। इस प्रकार इसका राजनीतिकरण हुआ।

इसी तरीके के वड़ोदरा का जो कांड हुआ, उसमें हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और सारी चीजें हुईं। ये जो हाई लाइनर हैं, जरा इनके बारे में पता करिए कि ये हाई लाइनर कौन लोग हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आई॰एस॰आई॰ से सम्बन्धित हों, जो इस सरकार को बदनाम करना चाहते हों और गुजरात सरकार को बदनाम करना चाहते हों। ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप क्लेरिफिकेशन पूछिए न! ... (व्यवधान)...

श्री कलराज मिश्र: वेल प्लांड होकर इस प्रकार की हरकत किए हों, मैं यह जानना चाहता हूं! चूंकि यह चीज़ हमारी जानकारी में आई है और मैं उस जानकारी के आधार पर बोल रहा हूं, क्या इसके बारे में जानकारी करके इस चीज़ को बताएंगे? दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट से स्थगनादेश लेकर उसको रोक दिया गया। इससे एक तरह से ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो आतंकवादी हैं या आई॰एस॰आई॰ की गतिविधियों में लगे हुए हैं, ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसीलिए साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। क्या आपने इस तरफ एक दृष्टि रखते हुए इस पर विचार किया है, आप विचार करने की कोशिश करेंगे और ऐसे तत्वों का पता करेंगे, यही मैं जानना चाहता हूं?

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, sir, I seek a clarification from the hon. Home Minister. I would like to know whether the demolition of that dargah in Vadodara is a violation of the 1993 Act for maintenance of pre-1947 structure. If it is, then how should that be handled?

Secondly, to ascertain whether it is a pre-1947 structure, if it is to be ascertained, then the onus of ascertainment falls on whom? On an individual or the city administration, including the Municipal Corporation and police who decided the demolition action sparking the riot? So, I



think these two aspects are vital in preventing the future prospect of this kind of incidents. I request the hon. Home Minister to clarify this point.

**SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal):** How old was this structure as per your report? Thank you.

**श्री अहमद पटेल (गुजरात):** उपसभापति महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ, जो मान्यवर कलराज जी ने बात कही, अगर वह बात सही है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर हाई कोर्ट का कोई आर्डर है या बातचीत के जरिए तय हुआ है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर यह बात सही नहीं है और जो टाइमिंग चुने गए, जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया, तो यह जो टाइमिंग का है और जिस तरीके से कार्य किया गया है, क्या यह सही है?

महोदय, दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि ये जो स्थान होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई रिलीजियस प्लेस हो, उसके साथ लोगों के जज़्बात जुड़े होते हैं और शायद सौ साल, दो सौ साल, ढाई सौ साल पुराने ये होते हैं। अगर ऐसे स्ट्रक्चर हटाने होते हैं, तो इसके लिए क्या कोई कानून में प्रावधान है या नहीं? गृह मंत्री जी कह रहे थे यह ऐसी इंटरप्रिटेशनका सवाल है। अगर प्रावधान है, कानून है, तो यह क्यों किया गया? अगर कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल बॉडी इस तरह का रवैया रखती है, तो उसे रोकने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं?

महोदय, जहां तक मुआवजे का या कंपनसेशन का सवाल है, मुझे नहीं मालूम, मुझे जानकारी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दिया है। अगर दिया है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर इसमें स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कंपनसेशन नहीं मिला है या मुआवजा नहीं मिला है, तो क्या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देगी कि इसकी वजह से जो एफेक्टेड लोग हैं, उनको मुआवजा या कंपनसेशन मिल सके?

**श्री विनय कटियार:** उपसभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि एक तो आपने अलीगढ़ को बिल्कुल छोड़ दिया, जहां हमारे विधायक के बेटे की हत्या हुई है, दूसरा आपने जो विषय उठाया, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर मैं इसमें आगे यह जोड़ना चाहता हूँ कि मऊ के अंदर मंदिर टूटा, अलीगढ़ के अंदर मंदिर टूटे, तो क्या अगर उसके लिए भी राज्य सरकार मदद नहीं देती है, तो केंद्र सरकार उसमें मदद देगी? क्या उसकी भी कोई व्यवस्था करेगी? क्या अलीगढ़ दंगे की कोई जांच भारत सरकार अलग से कराएगी?

**श्री अबू आसिम आज़मी:** उपसभापति महोदय, मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहता था, जो अहमद भाई ने पूछ ली है कि क्या कोई यूनिफॉर्म ऐसा कानून है, जिससे इनको कंपनसेशन दिया जाएगा? अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया है। तो पहले उनको कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन देने का तरीका क्या होगा? क्या यह किसी की

مर्जी کے ऊپر ہوگا یا کوئی یونیفرم ایسکا کوئی کانون ہے؟ جیسے یہاں 1984 کے دंगों में दिया गया था, क्या उसी तरह से दिया जाएगा या अपनी मर्जी से दिया जाएगा?

दूसरी बात, आईएसआई के लोगों पर बहुत नजर रखी जा रही है और यह नजर रखना बहुत जरूरी है। यहां पर बहुत हमले हो रहे हैं, मगर मैं एक बात जानना चाहता हूँ नादेड़ के पाठभंडारे नगर में एक रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के घर में बम बन रहा था और बम फट गया, जिसमें दो लोग मर गए और तीन लोग जखमी हो गए थे। उसी इलाके में परभणी, पूरना और जालना में मस्जिदों पर हमले हुए थे, जिसमें उसी तरह का बम इस्तेमाल हुआ था, जो यहां दिल्ली में मस्जिद में हुआ था और मुम्बई के घाटकोपर में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसी तरह का ही ब्लास्ट हुआ था, तो ये लोग जो नादेड़ में हैं, यह जो फैमिली है, क्या ये विश्व हिन्दू परिषद के मैम्बर हैं? क्या आप इस पर भी नजर रख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आर्गेनाइजेशन भी इस देश के अंदर कुछ आतंकवादी गतिविधियों की ओर जा रहा है? इस पर आप नजर रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? यह मैं जानना चाहता हूँ।

† [شری ابو عاصم اعظمی "اتر پردیش": اُپ سہا پتی مہودے، میں سنتری جی سے ایک بات جانا چاہتا تھا، جو احمد بھائی نے پوچھ لی ہے کہ کیا کوئی یونیفارم ایسا قانون ہے، جس سے ان کو کمپنیشن دیا جائے گا؟ ابھی تک اسٹیٹ گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیا ہے، سینٹرل گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیا ہے۔ تو پہلے ان کو کمپنیشن دیا جائے، لیکن دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا یہ کسی کی مرضی کے اوپر ہوگا یا کوئی یونیفارم اس کا کوئی قانون ہے؟ جیسے یہاں ۱۹۸۴ کے دنگوں میں دیا گیا تھا، کیا اسی طرح سے دیا جائے گا یا اپنی مرضی سے دیا جائے گا؟

دوسری بات، آئی ایس آئی، کے لوگوں پر بہت نظر رکھی جا رہی ہے، اور یہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے، یہاں پر بہت حملے ہو رہے ہیں۔ مگر میں ایک بات جانا چاہتا ہوں ناندیڑ کے پاٹ بھنڈارے نگر میں ایک ریٹائرڈ پی ڈبلیو ڈی انجینئر کے گھر میں بم بن رہا تھا اور بم پھٹ گیا، جس میں دو لوگ مر گئے اور تین لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ اسی علاقے میں پریمتی، پورنہ اور جالنا میں مسجدوں پر حملے ہوئے تھے، جس میں اسی طرح کا بم استعمال ہوا تھا، جو یہاں دہلی میں مسجد میں ہوا تھا اور ممبئی کے گھاٹ کوپر میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا، اسی طرح کا ہی بلاسٹ ہوا تھا، تو یہ لوگ جو ناندیڑ میں ہیں، یہ جو نیپلی ہے، کیا یہ دلش ہندو پریشد کے ممبر ہیں؟ کیا آپ اس پر بھی نظر رکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آرگنائزیشن بھی اس دلش کے اندر کچھ آنکھ وادی گھستی ودھیوں کی طرف جا رہا ہے؟ اس پر آپ نظر رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے

ہیں؟ یہ میں جانا چاہتا ہوں۔

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): माननीय उपसभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने अपने बयान में यह कहा कि अगर म्युनिसिपल कारपोरेशन चाहती तो बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाल सकती थी, कोई हल निकाल सकती थी, लेकिन मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि एक सवाल पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहा है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल पुलिस है, उसकी भूमिका पर उठ रहा है, क्या दंगे को न रोकने में पुलिस की भूमिका पर कोई प्रश्न-चिह्न है? पुलिस कितनी एफेक्टिव थी? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कितना एफेक्टिव था? यह बात छूट गई है, इसलिए इस पर आप बता दें, क्योंकि अगर पुलिस ने एहतिहात लिया होता, तो शायद ये दंगा न होता। यह बात मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री शिवराज वी० पाटिल: श्रीमन्, जहां तक कोर्ट का प्रश्न है, असल में गुजरात हाई कोर्ट ने किसी के ऐप्लिकेशन पर यह केस नहीं लिया था, उसने यह सुओ-मोटो केस लिया था। वर्तमान पत्र में एक आर्टिकल आया, उसके आधार पर उन्होंने केस चालू किया और उसमें उन्होंने कहा कि वड़ोदरा में जो स्ट्रक्चर्स हैं, अहमदाबाद में स्ट्रक्चर्स हैं, राजकोर्ट में स्ट्रक्चर्स हैं, वे गिराए जाएं। तो उस जजमेंट के आधार पर यह शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। जजमेंट के पहले ही डिस्मिशन होकर उसके बारे में चर्चा हो चुकी थी, वह जजमेंट आया था, इसलिए नहीं किया। जजमेंट दूसरे दिन आया है और यह चर्चा पहले दिन हुई है। उस जजमेंट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उस पर हम स्टे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया तो वह अनफारच्युनेट है और गुजरात ने आर्डर दिया तो वह फारच्युनेट है, यह कहने की परिस्थिति में हम नहीं हैं। जो भी है ....(व्यवधान)...

श्री कलराज मिश्र: मैंने इसलिए कहा था क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया था और उस आधार पर यह काम हो रहा था। हमने इस बात पर जोर दिया था कि आपस में बातचीत या सहमति हो गई थी लेकिन कुछ हार्ड लाइनर, जिनके बारे में हमें शंका है कि ऐसे लोग थे, जो गड़बड़ करना चाहते थे, उन्होंने यह किया, चरना तीन-चार दरगाह डिमॉलिशन हो चुके थे लोगों की सहमति के आधार पर। इसके लिए भी लोग सहमत हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने यह किया। तो यह लोग कौन थे, इस पर मैं ज्यादा जोर देना चाह रहा था।

श्री राजीव शुक्ल: कलराज जी, हाई कोर्ट का आदेश गुजरात में तो सही था डिमॉलिशन पर, लेकिन दिल्ली में हाई कोर्ट का आदेश गलत था डिमॉलिशन पर! दो भूमिकाएं नहीं हो सकतीं।

श्री कलराज मिश्र: इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यहां स्थगनादेश लेना चाहिए था।

श्री शिवराज वी० पाटिल: सर, मैं यही कह रहा था कि जजमेंट के आधार पर यह डिमॉलिशन नहीं हुआ है, उनके प्लान के मुताबिक हुआ है। उसके बारे में जजमेंट आने से पहले चर्चा हुई है। अगर मैंने अपने भाषण में कोई मुद्दा जोर से सामने रखा है तो वह यही है कि

म्युनिसिपल कारपोरेशन को यह चाहिए था कि अगर इतने लोगों का विरोध है और वह पुरानी मस्जिद या दरगाह है तो लोगों के विचारों को ध्यान में रखकर वे कुछ दिन के लिए उसे आगे बढ़ाते, फिर चर्चा करते और उसके बाद करना है या नहीं करना है, यह डिसाइड करते। ऐसा करते तो कोई खास बात नहीं बिगड़ने वाली थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं करने की वजह से ही यह हादसा हुआ है, जिसमें 6 जानें चली गईं। यह हादसा अगर बढ़ जाता, दूसरी जगह पहुंच जाता तो क्या होता, इसका अंदाजा लगाना म्युनिसिपल कारपोरेशन को जरूरी था। अगर उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया है और यहां सदन में अगर सदस्य उठकर बोलते हैं कि उन्होंने गलती की है, तो बोलने वालों की यह गलती है, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो भी सरकार होती है, हम दिल्ली में बैठकर या वहां गांधी नगर में या वड़ोदरा में बैठकर, इन चीजों को एडमिनिस्ट्रेटर को ध्यान में लेना जरूरी होता है। अगर उसने नहीं लिया है तो उस गलती की जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी तो किसकी होगी? जिन्होंने यह गिराया, जिन्होंने यह अंदाजा नहीं लगाया कि ऐसा हो सकता है, उसकी गलती नहीं होगी तो गलती किसकी होगी? इसको ध्यान में रखना जरूरी है। इसके लिए अगर कोई बोला कि आईएसआई के लोग उसमें हैं या हो सकता है, अब नहीं हैं या हैं, हम यह कैसे बोलें। यह क्यों नहीं हम मानते कि अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर डालने के लिए हम यह कर रहे हैं। इसका जजमेंट देने का हक उन आदमियों को है, जिन्होंने पूरे फ़ैक्ट्स अपने सामने लेकर अंदाज लगाया। हम इस प्रकार से अंदाज नहीं लगा सकते। आप कल्पना कीजिए कि हम आज किस बात की चर्चा कर रहे हैं, इस सदन में बैठकर हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? हम दिल्ली सरकार के किए हुए काम की नहीं, प्रान्त की सरकार के किए हुए काम की भी नहीं, बल्कि म्युनिसिपल पार्टी के किए हुए काम की चर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। म्युनिसिपल मैटर हम पार्लियामेंट में लाकर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि अगर वह हादसा बढ़ जाता तो वह आग बहुत तरफ फैल सकती थी और वह बहुत बड़ी चीज हो सकती थी, इसलिए हम आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। मगर, मालूमात म्युनिसिपेलिटी से स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट से हमारे पास आएंगी। अब यह जो प्लेसिस आफ वरशिप्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट है, उसका इंटरप्रीटेशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकती है। इसके इंटरप्रेटेशन का अधिकार लोक सभा और राज्य सभा का नहीं है। इसका एक जो प्रोवीज़न है, जो सैक्शन (4) है, वह मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ:

**"It is hereby declare that the religious character of a place of worship existing on 15th day of August, 1947, shall continue to be the same as it existed on that day."**

अब इसका इंटरप्रेटेशन क्या है? पूरा इंटरप्रेटेशन क्या है? एक-एक कॉमा, एक-एक शब्द को ध्यान में रखते हुए इसका इंटरप्रेटेशन करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा कानून जानता हूँ, इसलिए अगर दो मिनट के अन्दर थोड़ा सा विचार करके मैं इंटरप्रेटेशन करूँ, तो वह गलत होगा, मैं इसमें

नहीं पढ़ंगा। मगर जो है, वह यही क़ानून है। जिसने भी इस क़ानून का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ़ केस किया जा सकता है और तीन वर्ष की सज़ा भी दी जा सकती है। यह इस क़ानून में बताया गया है। अगर किसी को जाना है, तो पीआईएल में तो बहुत जाते हैं। इसे देख कर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोर्ट में जाकर क्या किया जा सकता है। यह सब करने के बजाय यदि वह हमें बोलें कि केन्द्र की तरफ़ से केस चलाएं, तो वह केस हम नहीं चला सकते।

हमें एक बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हर आदमी उठ कर कहता है कि इस गांव में झगड़ा हो गया तो केन्द्र को यहां पहुंचना चाहिए अथवा उस गांव में झगड़ा हो गया तो केन्द्र को यहां पहुंचना चाहिए, लेकिन यह सब कहते समय वह यह भूल जाता है कि वहां जाने के लिए हमें डायरेक्ट कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है। यह अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का है। जब हम यह कहते हैं कि हमें यह अधिकार दे दो कि यदि कहीं ऐसा हुआ हो तो हम वहां पर पहुंच सकें और कार्यवाही कर सकें तब कह दिया जाता है कि नहीं-नहीं, यह अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप वहां क्यों नहीं जाते हैं? यह तो दोनों तरफ़ से बात हो गई कि एक तरफ़ से हम जा नहीं सकते और दूसरी तरफ़ से कहा जाता है कि आप इस काम को क्यों नहीं करते। इस तरह से इसमें अड़चन आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस काम को अंजाम देने की कोशिश इस प्रकार करते हैं कि जो लोग वहां हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपकी मुश्किल क्या है, हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। हम उनको बताते हैं कि आप ऐसा करिए, साथ ही साथ हम उन्हें यह भी बताते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा भी माना जा सकता है कि आप उस घटना और कॉस्टीट्यूशन के खिलाफ़ जा रहे हैं अथवा ऐसा भी माना जा सकता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से दूर हट गए हैं। इस प्रकार से हम काम करते हैं। यह क़ानून है, मैंने आपको अभी यह पढ़ कर बताया है। यह क़ानून हमारे ध्यान में भी है, लेकिन यदि कोई हमसे पूछे कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो हम लोग स्वयं जाकर उस क़ानून को लागू करने के बजाए किसी भी इंडिविज्युअल को भेज सकते हैं। कोई भी इंडिविज्युअल वहां जा सकता है, क्योंकि क़ानून तो सबके लिए है। कोई भी वहां जाकर उस कार्य को देख सकता है ....(व्यवधान)...

**SHRI TAPAN KUMAR SEN:** But, Sir, the Executive authority has also got some responsibility to uphold the rule of law. And, that is a part of the whole statute. ....(Interruptions)...

**SHRI SHIVRAJ V. PATIL:** Do you expect me to do it? ....(Interruptions)...

**SHRI TAPAN KUMAR SEN:** Definitely. When we are discussing this and when you are here, we want to know whether you will do or

anybody else will do. What should be done, at least, should come out ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No argument on that. You have sought a clarification and the hon. Minister has given a reply to that. नहीं-नहीं, आप बैठिए ...(*व्यवधान*)...

एक माननीय सदस्य: सर, समय बहुत हो रहा है, आप समय भी देख लीजिए।

श्री उपसभापति: मुझे खुशी है कि अब आप समय देख रहे हैं, लेकिन जब बात करने का वक्त आता है, तब आप समय नहीं देखते हैं।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I am asking a clarification precisely about the violation of the Act. I would like to know whether it has been done deliberately.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): How old was the structure?

श्री रुद्रनारायण पाणि:\*

श्री उपसभापति: पाणि जी, आप बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है, No, No, Nothing will go on record. आप ऐसे ही बात नहीं कीजिए ...(*व्यवधान*)... श्री प्रशांत चटर्जी जी, आप बैठ जाइए, बीच में आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं ...(*व्यवधान*)... प्रशांत जी आप बैठिए ...(*व्यवधान*)...

श्री शिवराज वी० पाटिल: सर, मैं यह बताना चाह रहा हूँ ...(*व्यवधान*)...

श्री उपसभापति: अरे आप सब सुनिए, मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल: सर, मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार का क़ानून है, इस कानून का उपयोग जो चाहे कर सकता है। सम्माननीय सदस्य भी कर सकते हैं और वहाँ के रहने वाले लोग भी कर सकते हैं। कोई भी आदमी इस कानून के मुताबिक कार्यवाही कर सकता है, लेकिन यदि आप हमें बोलेंगे कि आप जाकर कार्यवाही करो तो वह बात कहां तक सही है, इसे समझना जरूरी है।

दूसरा, एक और बात जो हमसे पूछी जा रही है, वह यह है कि इस स्ट्रक्चर की उम्र कितनी थी? मैं उसके बारे में पूरी तरह से तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के अन्दर यह आप कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी का केस। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम स्टेट गवर्नमेंट से भी मंगाते हैं, तो उन्हें भी यह इन्फॉर्मेशन म्युनिसिपैलिटी

\*Not recorded.

से मंगवा कर देनी पड़ेगी। इस तरह से हम म्युनिसिपैलिटी का केस पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हम इसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता था। मगर यह किस उम्र की थी इसके बारे में जो जानकारी है, बारीकी से लेकर हम दे सकते हैं। मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि यह पुरानी इमारत थी और 50 साल की थी, 70 साल की थी, 100 साल की थी। 50 साल, 60 साल के लोग तो उस गली में रहने वाले जरूर हो सकते हैं और वे बता सकते हैं कि कितनी उम्र थी उस इमारत की, यह तो बता सकते हैं। मगर यह जरूरी क्या है आपको हमारे से मांग लेने की कि उम्र कितनी थी? आप खुद जाकर देखिए, खुद जाकर पूछिए, वहां पर पता करिए। मगर हम बोल रहे हैं कि वह 50 साल की हो या 100 साल की हो या 300 साल की हो, उसके बारे में लोगों के मन में अगर आदर की भावना है और इसे तोड़ने की वजह से उस आदर की भावना पर आघात होता है तो वह नहीं करना चाहिए। मगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि उसकी उम्र क्या थी। मेरे पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अगर लेना है तो मुझे वहां से मंगाकर आपको बताना पड़ेगा। आज मेरे पास नहीं है। What can be done to compensate? मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार का यह रवैय्या रहा है। कि जब भी कोई हादसा होता है तो जो निरपराध आदमी का जो नुकसान हो जाता है, उसको हम कम्पेंसेट कर दें। और हम उम्मीद करते हैं कि गुजरात की सरकार या म्युनिसिपैलिटी या वहां के जो जिम्मेदार हैं, उसमें जरूर देखेंगे और कम्पेंसेट करने की कोशिश करेंगे। अगर कम्पेंसेट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो हम उनसे चर्चा करेंगे। अगर इस पर भी नहीं हुआ तो हम यहां से क्या कर सकते हैं वह हम उसको देखेंगे।

अब यह अलीगढ़ की बात यहां पर निकाली गई। वे सारी चीजें, हिन्दुस्तान में सारे हादसों की चर्चा दो घंटे में तो नहीं हो सकती है और मैं वह नहीं करना चाहता हूँ। दूसरे, यह जो नांदेड़ वगैरह के बारे में कह रहे हैं, आपने पूछा। मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन है और सब के बारे में है। मगर यह मौका नहीं है सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने का और वह इंफॉर्मेशन ऐसा है कि एक दूसरों के खिलाफ जाता है। एक इंफॉर्मेशन एक तरफ जाता है तो दूसरा इंफॉर्मेशन दूसरी तरफ जाता है तो तीसरा इंफॉर्मेशन तीसरी तरफ जाता है। तो इन सारी चीजों की चर्चा करने का यह मौका नहीं है। जहां तक पुलिस की जो भूमिका है, अब इस पुलिस की भूमिका पर भी लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कुछ लोग बोलते हैं कि जितनी ताकत से उनको काम करना चाहिए था उतनी ताकत से नहीं किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुमने इतनी ताकत से काम किया कि यह हादसा पैदा हो गया। अब वह ताकत लगाई या नहीं लगाई इसके बारे में यहां बैठकर अपना अंदाज लगाना ठीक नहीं होगा। अगर उसमें इक्वायरी होगी और अगर कोई दोषी पाया गया तो उसको शिक्षा देने में कोई हमारी अड़चन नहीं होगी। अगर नहीं दोषी पाया है तो बिना वजह किसी के ऊपर तोहमत लगाना ठीक नहीं होगा।

[16 May, 2006]

RAJYA SABHA

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Message from the Lok Sabha.  
(Interruptions) नहीं, हो गया। Please cooperate. (Interruptions)

---

**MESSAGES FROM LOK SABHA**

- (i) **The Cess Laws (Repealing and Amending) Bill, 2006.**
- (ii) **The Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2006.**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, I am directed to enclose the Cess Laws (Repealing and Amending) Bill, 2006, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 15th May, 2006.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, I am directed to enclose the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2006, as passed by Lok Sabha at its sitting held on 16th May, 2006."

Sir, I lay a copy each of the Bills on the Table.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, during the course of this debate certain words had been expressed, and I had promised the House that I would examine them and, then, take a decision. I have examined that Shri Sitaram Yechuri had said something about who followed the assassins of Mahatma Gandhi. I have verified the records, and also the rulings. I am removing these words from the record.